रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2003/ज्येष्ठ 9, 1925
No. 496] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2003/JYAISTHA 9, 1925

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2003

का.आ. 635(अ).— भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का0आ0 114 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा तटीय क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने और उनके विस्तार, प्रचालनों और प्रक्रियाओं पर निबर्धन अधिरोपित किए थे;

और, अण्डमान निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उक्त राज्य क्षेत्र के तटीय विनियमन क्षेत्र में बालु के खनन पर उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा लगाए गए निबर्धनों के कारण उक्त क्षेत्र के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सहन की जा रही कठिनाइयों की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था;

और, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे की जांच की गई है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन किया जाना चाहिए;

और, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) में यह उपबंध है कि उप-नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी जब कभी केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है तो वह उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी ।

और, केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन हेतु उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम 3 और (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) पैरा 2 के उप-पैरा (ix) में "बशर्ते कि" शब्दों से शुरू होने वाले और पक्षी घौंसले स्थल और संरक्षित क्षेत्रों" शब्द से अन्त होने वाले भाग को निम्नलिखित उपबंध से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"बशर्ते कि अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित क्षेत्र में अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल द्वारा गठित समिति, जिसमें (1) मुख्य सचिव, अण्डमान निकोबार प्रशासन (2) सचिव पर्यावरण विभाग (3) सचिव, जल संसाधन विभाग और (4) सचिव, अण्डमान लोकनिर्माण विभाग शामिल होंगे, द्वारा बालु खनन की अनुमति दी जा सकती है :

इसके बाद समिति रेत बालु के पुनर्भरण या भराव के आधार के साथ-साथ मामले दर मामले के आधार पर निर्माण कार्यों के लिए 01 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक की अवधि हेतु 44,102 क्यूबिक मीटर बालु के खनन की अनुमति प्रदान कर सकती है । परन्तु यह और कि इस उप-पैरा के अधीन बालु के खनन हेतु प्रदान की गई अनुमति खनन परियोजनाओं पर आधारित होनी चाहिए और संवेदी तटीय पारि प्रणाली, जिसमें प्रवालभित्ति या कछुए, मगरमच्छ, पक्षी घौंसलें स्थल और संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, को हानि से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय निर्धारित किए जाने चाहिए।" ;

(ख) "तटीय विनियमन क्षेत्र- iv अंडमान और निकोबार द्वीप समूह" शीर्ष के अधीन अनुबंध-I में मद (iv) की उप-मद (ख) में "31 मार्च, 2003" अंकों, और शब्दों के स्थान पर" 31 मार्च, 2004" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. जैड-12011/2/96-आई ए-III]
डॉ. वी. राजागोपालन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र में का. आ. 114 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 को प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित के तहत संशोधित की गई :-

(i) का.आ. 595 (ई), दिनांक 18 अगस्त, 1994
(ii) का.आ. 73 (ई), दिनांक 31 जनवरी, 1997
(iii) का.आ. 494 (ई), दिनांक 9 जुलाई, 1997

(iv) का.आ. 334 (ई), दिनांक 20 अप्रैल, 1998
(v) का.आ. 873 (ई), दिनांक 30 सितम्बर, 1998
(vi) का.आ. 1122 (ई), दिनांक 29 दिसम्बर, 1998
(vii) का.आ. 988 (ई), दिनांक 29 सितम्बर, 1999
(viii) का.आ. 730 (ई), दिनांक 4 अगस्त, 2000
(ix) का.आ. 900 (ई), दिनांक 29 सितम्बर, 2000
(x) का.आ. 329 (ई), दिनांक 12 अप्रैल, 2001
(xi) का.आ. 988 (ई), दिनांक 3 अक्टूबर, 2001
(xii) का.आ. 550 (ई), दिनांक 21 मई, 2002
(xiii) का.आ. 52 (ई), दिनांक 16 जनवरी, 2003

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2003

S.O. 635(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.114(E), dated the 19th February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared Coastal Stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas the Andaman and Nicobar Administration of the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands has drawn the attention of the Central Government to the difficulties being faced by the local population of the said territory due to restrictions imposed by the aforesaid notification on mining of sand in the Coastal Regulation Zone in the said territory;

And whereas the issue has been examined by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests;

And whereas the Central Government is of the opinion that the said notification should be amended;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, notwithstanding anything contained in sub-rule (3), wherever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the aforesaid rules;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the said requirement of notice under clause (a) of Sub-rule (3) of rule 5 of the aforesaid rules for amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, -

(a) in paragraph 2, in sub-paragraph (ix), for the portion beginning with the words "Provided that' and ending with the words "bird nesting sites and protected areas", the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided that in the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands, mining of sand may be permitted by a committee constituted by the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands consisting of – (1) the Chief Secretary Andaman & Nicobar Administration; (2) Secretary, Department of Environment; (3) Secretary, Department of Water Resources; and (4) Secretary, Andaman Public Works Department:

Provided further that the Committee may permit mining of sand upto 44,102 cu.m. for construction purposes on a case to case basis, for the period on and from the 1st day of April, 2003 to the 31st day of March, 2004 from sites selected, *inter-alia*, based on rate of replenishment or deposition of sand:

Provided also that the permission as may be granted under this sub-paragraph for mining of sand shall be based on mining plans and shall stipulate sufficient safeguards to prevent damage to the sensitive coastal eco-system including corals, turtles, crocodiles, birds nesting sites and protected areas.";

(b) in Annexure-I, under the heading "CRZ-IV Andaman and Nicobar Islands", in item (iv), in sub-item (b), for the figures, letters and words "31st day of March, 2003," the figures, letters and words "31st day of March, 2004" shall be substituted.

[No. Z-12011/2/96-IA-III]

Dr. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O.114(E) dated the 19th February, 1991 and subsequently amended vide notification-

(i) S.O.595(E) dated 18th August, 1994
(ii) S.O.73(E) dated 31st January, 1997
(iii) S.O.494(E) dated 9th July, 1997
(iv) S.O.334(E) dated 20th April, 1998
(v) S.O.873(E) dated 30th September, 1998
(vi) S.O.1122(E) dated 29th December, 1998
(vii) S.O.988(E) dated 29th September, 1999
(viii) S.O.730(E) dated 4th August, 2000
(ix) S.O.900(E) dated 29th September, 2000
(x) S.O.329(E) dated 12th April, 2001
(xi) S.O.988(E) dated 3rd October, 2001
(xii) S.O.550(E), dated 21st May, 2002
(xiii) S.O.52(E), dated 16th January, 2003

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.